न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
पीठासीन अधिकारी दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस.

वाद संख्या 149 / 2017

1. सुभाषचन्द्र
2. ओमप्रकाश पुत्रान प्रहलादसिंह जाति रावणाराजपूत निवासीगण सोटवारा तहसील नवलगढ —वादीगण

बनाम

1. राजेन्द्रसिंह पुत्र बिरजूसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी सोटवारा तहसील नवलगढ
2. शाखा प्रबंधक राज. ग्रा0 बैंक शाखा मुकुन्दगढ तहसील नवलगढ
3. शाखा प्रबंधक यू.को. बैंक शाखा मुकुन्दगढ तहसील नवलगढ
4. भूमि धारक तहसीलदार नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू —प्रतिवादीगण

दावा : बाबत विभाजन व घोषणार्थ

निर्णय

निर्णय तिथि 18.10.2017

वादीगण द्वारा वाद पेश कर निवेदन किया गया कि ग्राम सोटवारा की सरहद में भूमि ख.न. 592 रकबा 8.86 है0 स्थित है। उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 की शामलाती कृषि भूमि है जिसको आगे वाद में वादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। उक्त आराजी में वादी नं. 1 का सम्पूर्ण भूमि में 1/4 हिस्सा यानि 2.215 है0 हिस्सा वादी नं. 2 का 1/4 हिस्सा यानि 2.215 है0 तथा प्रतिवादी नं. 1 का सम्पूर्ण भूमि में 1/2 यानि 4.43 है0 हिस्सा है परन्तु मोके पर प्रतिवादी न. 1 को अपने 4.43 है0 हिस्से में 0.2750 है0 भूमि वादीगण अपने अपने हिस्से मे प्रतिवादी नं. 1 को अधिक दे रखी है व इसी अनुसार मोके पर कब्जे व काश्त है। जिसमें वादी नं. 1 का हिस्सा 2.0775 है0 व वादी नं. 2 का 2.0775 है0 व इसी हिस्सेनुसार मौके पर क़ब्जा काश्त है। वीदगण व प्रतिवादी का मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन नही हुआ है। इसलिये उक्त वाद पेश करना आवश्यक हुआ। उक्त भूमि का हिस्सेदारों के मध्य कानूनी विभाजन मिटस एण्ड बाउण्डस के आधारों पर नही हुआ है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण नं. 1 मनबट के हिसाब से उक्त आराजीयात अविभाजित कृषि भूमि पर काश्त करते आ रहे हैं जिसका मिटस एण्ड बाउण्डस तकासमा किया जाकर लगान की फाक बन्दी करके जमाबंदी में दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः वाद पेश कर निवेदन है कि ग्राम सोटवारा की भूमि ख.न. 592 रकबा 8.86 है0 भूमि में वादी नं. 1 को 2.0775 है0 वादी नं. 2 को 2.0775 है0 व प्रतिवादी नं. 1 को 4.705 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर मिटस एण्ड बाउण्डस किया जाकर अलग अलग खाता कायम किये जावें।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादी की गई। वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 ने उपस्थित होकर एक राजीनामा पेश किया गया तथा वर्णित किया गया कि वादग्रस्त आराजी ख.न. 592 रकबा 8.86है0 में वादी नं. 1 का सम्पूर्ण भूमि में 1/4 हिस्सा यानि 2.215 है0 तथा वादी नं. 2 का सम्पूर्ण भूमि में 1/4 हिस्सा यानि 2.215 है0 ता प्रतिवादी नं. 1 का सम्पूर्ण भूमि में 1/2 हिस्सा यानि 4.43 है0 हिस्सा जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है परन्तु मोके पर वादी नं. 1 का सम्पूर्ण भूमि में 2.0775 है0 वादी नं. 2 का 2.0775 है0 तथा प्रतिवादी नं. 1 का सम्पूर्ण भूमि में 4.705 है0 हिस्सा स्थित है इसी प्रकार कब्जा काश्त चला आ रहा है व इसी मोके के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी अपने अपने हिस्से का खाता विभाजन करवाना चाहते हैं तथा अपने खाते की अलग घोषणा करवाना चाहते हैं।

राजीनामा प्रस्तुत होने पर बहस वकील वादीगण व प्रतिवादी नं. 1 को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी ग्राम सोटवारा संवत 2070 से 2074 के अनुसार भूमि ख.न. 592

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

रकबा 8.86हे0 का खातेदारी ...
बिरजूसिंह हि0 1/2 जाति दरोगा सा.देह खातेदार राजेन्द्रसिंह का हिस्सा 1/2 राहिन शे.ग्रा.बै. मुकुन्दगढ मूर्तहीन दर्ज रिकार्ड है। जिसके आगे नोट अंकित किया गया है कि नामा0सं0 958 दिनांक 16.12.2011 से ओमप्रकाश सिंह का हि0 1/4 राहिन यूको बैंक शाखा मुकुन्दगढ मूर्तहीन दर्ज रिकार्ड है। इसके अलावा वादी द्वारा वाद में वादग्रस्त भूमि बाबत किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रमाणित नही किया कि उक्त भूमि पैत्रिक है या स्वर्जित। वादी द्वारा वाद विभाजन व घोषणा का पेश किया गया है। चूंकि वादी व प्रतिवादी द्वारा दिनांक 13.10.2017 को उपस्थित होकर प्रस्तुत किये गये राजीनामा में प्रतिवादी नं. 1 को 1/2 हिस्से से ज्यादा जमीन दी जा रही है जिससे प्रथम दृष्टया राज्य सरकार को स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन शुल्क का नुकसाना होना प्रतीत होता है। इसप्रकार वादीगण द्वारा न्यायालय में वाद क्लीन हैण्ड से प्रस्तुत नही किया है क्योंकि प्रतिवादी को 1/2 हिस्सा से ज्यादा जमीन मुताबिक राजीनामा दी जा रही है जिससे राज्य सरकार को राजस्व करांवचन हो रहा है। अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाना उचित प्रतीत नही होने के कारण खारीज किया जाता है।

<u>आदेश</u>

वाद वादीगण सिद्ध नही होने कारण खारीज किया जाता है। तदनुसा पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 18.10.2017 को खुले न्यायलय में सुनाया गया।

18/10/17

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ